

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 632 सन 2021

अनवान :-

1. पीरदान पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जयकरण पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. लक्ष्मी देवी पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुरेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज  
निर्णय दिनांक :- 07.12.2021

प्रतिवादीगण

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 की कुल 3.7950 हेक्ठर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हे जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति / मजमे आम की सहमति / जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427 (18) के किला न0 4/1 की 0.3040 हैक गै0मु0रास्ता 4/2 की पूर्वी तरफ की 0.16125 हैक किला न0 11/0.2530, 12 की पूर्वी तरफ की 0.24035 हैक नहरी पश्चिम 0.01265 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 13/0.2530 हैक कुल 0.95065 हैक जिसमें 0.9076 हैक नहरी मुमकिन तथा 0.04305 हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

वादी के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427(18) के किला न0 4 की पश्चिमी पास की 0.05375 हैक नहरी मुमकिन व 4/3 की 0.0076 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 3 की पूर्वी पास की 0.1075 हैक नहरी तथा किला न0 3/1 की 0.0190 हैक गै0मु0रास्ता, किला न0 18/0.2530, 19 की पूर्वी पास की 0.24035 हैक नहरी व पश्चिमी की 0.01265 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 20/0.2530 हैक कुल 0.9465 हैक जिसमें से 0.9076 हैक नहरी मुमकिन तथा 0.03890 हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427 (18) के किला न0 3/2 की पश्चिमी पास की 0.1075 हैक किला न0 3/1 की 0.0190 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 2 की पूर्वी पास 0.04110 हैक 2/1 की 0.0042 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 21 की 0.2530 हैक किला न0 22 की 0.2530 हैक किला न0 23 की 0.2530 हैक कुल 0.9308 हैक भूमि जिसमें 0.9076 हैक नहरी व 0.0232 हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427(18) के किला न0 2 की पश्चिम तरफ की 0.16125 हैक किला न0 2 की पश्चिमी 0.01205 हैक गै0मु0रास्ता व किला न0 2/1 की 0.03445 हैक रास्ता किला न0 8 की 0.2530 हैक किला न0 9 की पूर्वी तरफ की 0.24035 हैक तथा किला न0 9 की पश्चिम 0.01265 हैक गै0मु0रास्ता किला न0 10 की 0.2530 हैक कुल 0.96675 हैक भूमि व 0.9076 हैक नहरी 0.05915 हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

चौहारा (इहमुमीनगाड़ी)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
कैम्प कोर्ट... परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. पीरदान पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जयकरण पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र दीपचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. लक्ष्मी देवी पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सुनील पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुरेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 632 सन 2021 निर्णय दिनांक- 07.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के पास रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427 (18) के किला न0 4/1 की 0.3040हैक गै0मु0रास्ता 4/2 की पूर्वी तरफ की 0.16125हैक किला न0 11/0.2530 ,12 की पूर्वी तरफ की 0.24035हैक नहरी पश्चिम 0.01265हैक गै.मु.रास्ता किला न0 13/0.2530हैक कुल 0.95065हैक जिसमें 0.9076हैक नहरी मुमकिन तथा 0.04305हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

वादी के पास रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427(18) के किला न0 4 की पश्चिमी पास की 0.05375हैक नहरी मुमकिन व 4/3 की 0.0076हैक गै0मु0रास्ता किला न0 3 की पूर्वी पास की 0.1075 हैक नहरी तथा किला न0 3/1 की 0.0190हैक गै0मु0रास्ता, किला न0 18/.2530 ,19 की पूर्वी पास की 0.24035हैक नहरी व पश्चिमी की 0.01265हैक गै0मु0रास्ता किला न0 20/0.2530हैक कुल 0.9465हैक जिसमें से 0.9076हैक नहरी मुमकिन तथा 0.03890हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427 (18) के किला न0 3/2 की पश्चिमी पास की 0.1075हैक किला न0 3/1 की 0.0190हैक गै0मु0रास्ता किला न0 2 की पूर्वी पास 0.04110हैक 2/1 की 0.0042हैक गै0मु0रास्ता किला न0 21 की 0.2530हैक किला न0 22 की 0.2530हैक किला न0 23 की 0.2530हैक कुल 0.9308हैक भूमि जिसमें 0.9076हैक नहरी व 0.0232हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मोजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 50 के प0न0 365/427(18) के किला न0 2 की पश्चिम तरफ की 0.16125हैक किला न0 2 की पश्चिमी 0.01205हैक गै0मु0रास्ता व किला न0 2/1 की 0.03445हैक रास्ता किला न0 8 की 0.2530हैक किला न0 9 की पूर्वी तरफ की 0.24035हैक तथा किला न0 9 की पश्चिम 0.01265हैक गै0मु0रास्ता किला न0 10 की 0.2530हैक कुल 0.96675हैक भूमि व 0.9076हैक नहरी 0.05915हैक गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....परलीका